R 268 पी-17 (153)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 पुर्नविलोकन , शिवपुरी

1. खेमराज पुत्र श्रीया जाटव
2. श्रीमती रेखा पत्नी श्री खेमराज जाटव

निवासीगण – ग्राम मारोरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 20-1-17 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुर्नविलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 57 / ... / 2014 – शिवपुरी में पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के विरूद्ध पुर्नविलोकन आवेदन ।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि :–

1. यहकि, आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 10/2 क का रकवा 0.50 हेक्टर ग्राम पाटनपुर तहसील पोहरी जिला शिवपुरी में स्थित होकर आवेदकगण भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।
2. यहकि, विवादित भूमि उबर खाबर पथरीली व असिंचित होने के कारण उसमें आवेदकगण को फसल का पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं होता है इस कारण विवादित भूमि को विक्रय कर अन्य उपजाऊ भूमि क्रय करना चाहता है जिससे परिवार का भरण पोषण किया जा सके।
3. यहकि, आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि को विक्रय करने हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष धारा 165 (7) म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिव्यू 268–दो/17 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	आवेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 57–तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 02–12–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण ने पाटनपुर तहसील स्थित भूमि सर्वे कमांक 10/2 'क' रकवा 0.50 है0 के विकय की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया था, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा बिना जांच अथवा कार्यवाही के प्रथम पेशी में ही आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण की भूमि बंजर एवं असिचिंत है जिसमें लागत लगाने के बाद भी फसल का लाभ नहीं मिलता है इसलिए भूमि को विकय कर उपजाऊ भूमि कय करना चाहता है। इसी कारण आवेदकगण द्वारा कलेक्टर के समक्ष विकय की अनुमति बावत आवेदन प्रस्तुत किया था। अपर आयुक्त ने कलेक्टर का आदेश निरस्त किया परन्तु अपर कलेक्टर को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की क्योंकि संहिता में हुये संशोधन के पश्चात अपीलीय न्यायालय को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं है। आवेदकगण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से तथा खसरे में अहस्तांतरणीय शब्द लिखा होने से भूमि विकय नहीं कर पा रहे हैं इसी कारण से ही उन्होंने मूल आवेदन पत्र संहिता की	

धारा 165 (7–ख) उपधारा 1 के तहत प्रस्तुत किया है। संहिता की धारा 158(3) के परंतुक के अनुसार अपीलार्थीगण को पट्टे पर प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि वंटन की तारीख से 10 वर्ष के पश्चात समस्त भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदकगण का आवेदन मात्र इसी आधार पर निरस्त करने में त्रुटि की है कि उसके पास प्रश्नाधीन भूमि के अलावा जीवनयापन के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 165 (7–ख) उपधारा 1 के तहत आवेदन दिया है जिसका मूल उद्धेश्य प्रश्नाधीन भूमियों को संहिता के प्रावधान अनुसार भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के कारण विकय किए जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र में की गई प्रार्थना के तहत इसीलिए प्रश्नाधीन भूमियों को हस्तांतरणीय श्रेणी से परिवर्तित किए जाने हेतु निवेदन किया गया है । जिसका सीधा संबंध विकय की अनुमति से है। आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि न्यायदृष्टांत 2013 आर.एन. 8 में माननीय उच्च्व न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार उन्हें प्रश्नाधीन भूमि के विकय करने की अनुमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी आवेदकों द्वारा विकय की अनुमति प्राप्त करने के उद्धेश्य से ही आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है। अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिकता की है। इस न्यायालय द्वारा इन विधिक बिन्दुओं पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि वे प्रश्नाधीन भूमि का विकय कर अन्य भूमियां कय करेंगे जिससे वे भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेंगे। इस संबंध में उनके द्वारा निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत अपीलार्थीगण के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त आधारों पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के विकय की अनुमति प्रदान किए जाने की

प्रार्थना के साथ प्रश्नाधीन भूमियों को अहस्तांतरणीय श्रेणी से हस्तांतरणीय श्रेणी में परिवर्तित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया है वह विधि अनुसार पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। आवेदकगण यदि प्रश्नाधीन भूमियों को विकय करना चाहते हैं तो उन्हें पुनः कलेक्टर के समक्ष आवेदन पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः पुनर्विलोकन निरस्त करने का अनुरोध किया।

4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख की प्रमाणित सत्य प्रतियों का अवलोकन किया गया। आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमियां शासकीय पट्‌टे पर प्रदान कर स्वतंत्र आधिपत्य सौंपा गया है। जहां तक प्रश्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदकों के मूल आवेदन को निरस्त करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन संहिता की धारा 165(7–ख) की उपधारा 1 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसका मूल उद्देश्य शासकीय पट्‌टे पर प्राप्त भूमि के विकय करने की अनुमति हेतु है। चूंकि आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन के साथ अपने–अपने स्वामित्व व आधिपत्य की प्रश्नाधीन भूमियों को विकय कर उसके स्थान पर विकय की जाने वाली भूमि के बराबर ही अन्य कृषि भूमि कय करने बावत अनुबंधपत्र प्रस्तुत किये गये हैं तथा तर्क के दौरान भी इसी प्रकार का अनुरोध किया है। इस प्रकार उनके पास जितनी भूमि वर्तमान में है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार उपरांत तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट्स द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन इस संबंध में स्वीकार किया

जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रश्नाधीन भूमियों के विकय की अनुमति दी जाना चाहिए। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–12–11 को संहिता में हुये नवीन संशोधन उपरांत अपील प्रकरण में प्रकरण प्रत्यावर्तित आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है इसिलए अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा आवेदकगण की परिस्थिति को बिना ध्यान दिये पारित कलेक्टर के आदेश एवं अपर आयुक्त के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि करने में उचित कार्यवाही नहीं की है अतः इस न्यायालय का आदेश भी यथावत नहीं रखा जा सकता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपर कलेक्टर शिवपुरी का आदेश दिनांक 23–3–2013, अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 18–11–13 एवं इस न्यायालय का निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02–12–2015 निरस्त किये जाते हैं। आवेदकगण को उनके भूमिस्वामित्व की भूमियां ग्राम पाटनपुर तहसील पोहरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 10/2 र कवा 0.50 है0 के विकय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।

2– अनुबंध अनुसार पूर्व में भुगतान की राशि कम कर शेष राशि पंजीयन के समय चैक द्वारा भुगतान की जायेगी।

3– भूमि के कय–विकय का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 6 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर